क्रम संख्या—688

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन. पी. 561

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 10 अप्रैल, 1989

चैत्र 20, 1911 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 717/सत्रह-वि-1-1 (क) 23/1989

लखनऊ, 10 अप्रैल, 1989

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों, मंत्रियों और सभा सचिवों की उपलब्धियां विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 पर दिनांक 8 अप्रैल 1989 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1989 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों, मन्त्रियों और सभा सचिवों की उपलब्धियां विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989.

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1989)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980, उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, 1956 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों, मंत्रियों और सभा सचिवों की उपलब्धियां विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा ।

(2) यह दिनांक 1 अप्रैल, 1989 को प्रवृत्त माना जायगा ।

अध्याय—दो

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (झ) में, शब्द "संसदीय सचिव" के स्थान पर शब्द "सभा सचिव" रख दिये जायेंगे ।

धारा 15 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 15 में,—

(क) खण्ड (पांच—ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"(पांच—ख ख) उक्त भत्ता उन दिनों के लिए भी देय होगा जिनमें किसी सदस्य द्वारा जनसेवा के कार्यों के लिए दौरा किया जाय और जिनके लिए पूर्ववर्ती खण्डों के अधीन उक्त भत्ता या आनुषंगिक व्यय अनुमन्य न हो या न हो सकता हो ;"

(ख) खण्ड (पांच—ग) में, शब्द "पद पर आसीन सदस्य" के पश्चात् शब्द "और नेता विरोधी दल" बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा 19 का प्रतिस्थापन

4—मूल अधिनियम की धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"19—नेता विरोधी दल को वेतन, आवास, सवारी तथा अन्य सुविधायें

नेता विरोधी दल ऐसे वेतन, आवास, सवारी तथा ऐसी अन्य सुविधायें पाने का हकदार होगा जो मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य को उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के उपबन्धों के अधीन अनुमन्य हैं और उक्त धाराओं के और उनसे सम्बन्धित नियमों के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, नेता विरोधी दल के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे मंत्रि परिषद् के किसी सदस्य के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।"

धारा 20, 21, 21-क और 22 का लोप

5—मूल अधिनियम की धारा 20, 21, 21—क और 22 निकाल दी जायेंगी ।

धारा 24 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 24 में:—

(क) उपधारा (1) में शब्द "सात सौ पचास" के स्थान पर शब्द "एक हजार दो सौ पचास" रख दिये जायेंगे और परन्तुक में शब्द "एक हजार पांच सौ पचास" के स्थान पर शब्द "दो हजार पचास" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण दो में शब्द "तीन मास" के स्थान पर शब्द "छः मास" रख दिये जायेंगे; और

(ग) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(2) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसने सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में या अंशतः सभा के और अंशतः परिषद् के सदस्य के रूप में (चाहे निरन्तर हो या नहीं), उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि से कम अवधि के लिये कार्य किया हो, और जिसको उपधारा (1) के अधीन कोई पेंशन, अनुमन्य न हो, अपने जीवन पर्यन्त पांच सौ रुपये प्रति मास की दर से पेंशन पाने का हकदार होगा ।"

धारा 25 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 25 में जहां-जहां शब्द "एक हजार पांच सौ पचास रुपये" आए हैं, वहां-वहां उनके स्थान पर शब्द "दो हजार पचास रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 26 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 26 में जहां-जहां शब्द "एक हजार पांच सौ पचास रुपये" आये हैं, वहां-वहां उनके स्थान पर शब्द "दो हजार पचास रुपये" रख दिये जायेंगे।

अध्याय—तीन

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981 की धारा 3 का संशोधन

9—उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, उपधारा (2) में शब्द "छः सौ पचास रुपये प्रतिमास" के स्थान पर शब्द "नौ सौ रुपये प्रतिमास" रख दिये जायेंगे और दिनांक 31 जुलाई, 1987 से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 6 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में शब्द "उस दर पर और उन शर्तों पर, जो विहित की जायं, यात्रा और दैनिक भत्ता" के स्थान पर शब्द "ऐसे दिनांक से, ऐसी दर पर और ऐसी शर्तों पर, जो विहित की जायं, यात्रा भत्ता और फुटकर खर्च" रख दिये जायेंगे।

अध्याय—चार

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, 1956 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1956 की धारा 3 का संशोधन

11—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, 1956 में, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(1) प्रत्येक सभा सचिव अपनी पदावधि में आद्योपान्त आठ सौ पचास रुपये प्रतिमास के वेतन का हकदार होगा तथा ऐसे तीन सौ रुपये मासिक परिवहन भत्ता दिया जायगा।"

धारा 4 का प्रतिस्थापन

12—मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

यात्रा भत्ता और फुटकर खर्च

"4—प्रत्येक सभा सचिव अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में (स्थल, समुद्र या वायुमार्ग द्वारा) की गयी यात्रा हेतु ऐसी दर पर और ऐसी शर्तों पर जो विहित की जायं, यात्रा भत्ता और फुटकर खर्च का हकदार होगा।"

आज्ञा से
नारायण दास,
सचिव।

No. 717(2)/—XVII-V—1-1(KA)-23-1989

Dated Lucknow, April 10, 1989

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal Sadasyon, Mantriyon Aur Sabha Sachiyon Ki Upalabhiyan Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1989 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 1989) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 8, 1989.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE MEMBERS, MINISTERS AND PARLIAMENTARY SECRTARIES' EMOLUMENTS LAWS (AMENDMENT) ACT, 1989

(U. P. Act no. 15, of 1989)

[as passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

Further to amend the Uttar Pardesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowatices and Miscellaneous Provisions) Act, 1981 and the Uttar Pradesh State Legislature Officers, Ministers, Deputy Ministers, Parliamentary Secretaries and Members (Salaries and Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1956.

It is hereby enacted in the Fourtieth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature Members, Ministers and Parliamentary Secretaries' Emoluments Laws (Amendment) Act, 1989.

(2) It shall be deemed to have come into force on April 1, 1989.

CHAPTER II

The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emiluments and Pension) Act, 1980

Amendment of section 2 of U.P. Act No. 23 of 1980

2. In the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emluments and Pension) Act, 1980, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in section 2, in clause (i), in the Hindi version, *for* the words "संसदीय सचिव" the words "सभा सचिव" shall be *substituted*.

Amendment of section 15

3. In section 15 of the principal Act,—

(*a*) *after* clause (*v-b*), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*v-bb*) the allowances shall also be payable for the days during which a member tours for the works in the service of the public and for which the allowance or incidental chagers under the preceding clauses are not, or may not be, admissible ;" ;

(*b*) in clause (*v-c*), after the words "a member holding any office referred to in clause (i) of section 2" the words "and the Leader of Opposition" shall be *inserted*.

Substitution of section 19

4. For section 19 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

Salary, accomodation, conveyance and other facilities to the leader of Opposition

"19. The Leader of Opposition shall be entitled to such salary, accommodation, conveyance and other facilities as are admissible to any member of the Council of Ministers under the provisions of sections 3, 4, 5, 6, 7 and 8 of the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981 and the provisions of the said sections and the rules relating thereto shall *mutatis mutandis* apply to the Leader of Opposition as they apply in relation to any member of the Council of Ministers.

Omission of sections 20, 21, 21-A and 22

5. Sections 20, 21, 21-A and 22 of the principal Act shall be *omitted*.

Amendment of section 24

6. In section 24 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), *for* the words "seven hundred and fifty" the words "one thousand two hundred and fifty" shall be *substituted* and in the proviso, *for* the words "one thousand five hundred and fifty" the words "two thousand and fifty" shall be *substituted* ;

(*b*) in sub-section (1), in Explanation II, *for* the words "three months", the words "six months" shall be *substituted*, and

(*c*) *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

> "(2) Every person who has served as a member of the Assembly or of the Council, or partly as a member of the Assembly and partly as a member of the Council (whether continuous or not) for a period lesser than the period specified in sub-section (1) and to whom no pension under sub-section (1) is admissible, shall be entitled to a pension at the rate of five hundred rupees per month throughout his life."

7. In section 25 of the principal Act, *for* the words "one thousand five hundred and fifty rupees" wherever occurring the words "two thousand and fifty rupees" shall be *substituted*. Amendment of section 25

8. In section 26 of the Principal Act, *for* the words "one thousand five hundred and fifty rupees" wherever occurring the words "two thousand and fifty rupees" shall be *substituted*. Amendment of section 26

CHAPTER III

Amendment of the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981.

9. In section 3 of the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in sub-section (2) *for* the words "six hundred and fifty rupees per month" the words "nine hundred rupees per month" shall be *substituted* and be deemed to have been substituted from July 31, 1987. Amendment of section 3 of U.P. Act No. 14 of 1981

10. In section 6 of the principal Act, in sub-section (2), *for* the words "travelling and daily allowance at such rates and upon such conditions as may be prescribed" the words "travelling allowance and out-of-pocket expenses from such date, at such rates and upon such conditions as may be prescribed" shall be *substituted*. Amendment of section

CHAPTER IV

Amendment of the Uttar Pradesh State Legislature Officers, Ministers, Deputy Ministers, Parliamentary Secretaries and Members' (Salaries and Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1956.

11. In section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature Officers, Ministers, Deputy Ministers, Parliamentary Secretaries and Members' (Salaries and Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1956, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :— Amendment of section 3 of U.P. Act no. 28 of 1956.

> "(1) Every Parliamentary Secretary shall, throughout the term of his office, be entitled to a salary of eight hundred and fifty repees per month and be paid a conveyance allowance of three hundred rupees per month."

12. *For* section 4 of the principal Act, the following section shall be *substituted* namely:— Substitution of section 4

> "(4) Every Parliamentary Secretary shall be entitled for journeys (whether by land, sea or air) performed in connection with the discharge of his official duties, to travelling allowance and out-of-pocket expenses at such rate and upon such conditions as may be prescribed." Travelling allowances and out of pocket expenses

By order,

NARAYAN DAS,

Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 16 सा० (विधा०)—(219)—1989—850 (मेक०)